न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/126/2022	2022/419	27.09.2022	25.08.2025

1. गोरधन पुत्र श्रीबालकिशन जाति जांगडा ब्राह्मण निवासी दयानगर राज भट्टा देहली रोड अलवर थाना एन.ई.बी. अलवर

——अपीलांट

बनाम

1. नरेश पुत्र गोरधन जाति जांगडा ब्राह्मण निवासी दयानगर राज भट्टा देहली रोड अलवर
2. महेश पुत्र गोरधन जाति जांगडा ब्राह्मण निवासी दयानगर राज भट्टा देहली रोड अलवर थाना एन.ई.बी. अलवर

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 02.09.2022 प्र0सं0 03/03/2021 को बमुराद मंसुख फरमाये जाने बाबत्

उपस्थितिः–
01–श्री रविन्द्र कुमार —वकील प्रार्थी अपीलांट

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट् द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 02.09.2022 प्रकरण संख्या 03/03 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहें। अपीलांट अधिवक्तां की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांट एक वरिष्ठ नागरिक है एवं रेस्पोडेंट्स मिन अपीलांट के पुत्रान है। मिन अपीलांट का स्वयं का स्व–अर्जित एक आवासीय मकान दयानगर राजभट्टा देहली रोड अलवर पर स्थित है। जो मकान मिन अपीलांट ने अपनी स्व–अर्जित आय से खरीद किया है और निर्मित किया है एवं अपीलांट पूर्व में मण्डी मोड पर सडक किनारे खोखा लगाकर कारपेंटर का कार्य करता था। किन्तु उक्त खोखे पर रेस्पोडेंट्स ने जबरन कब्जा कर लिया और अपीलांट को बेदखल कर दिया एवं अपीलांट को उसके स्वयं के स्व–अर्जित मकान से बलपर्वूक बेदखल कर दिया। वर्तमान में प्रार्थी अपीलांट के पास कोई आय का जरिया नहीं है एवं अपीलांट को अपने स्वयं के भरण–पोषण के लिए दर–दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जबकि रेस्पोडेंट्स जो कि मेरे लडके हैं, के पास आय का पर्याप्त साधन है किन्तु उसके बाद भी रेस्पोडेंट्स ना तो मुझे अपने मकान में रहने देते हैं और ना ही मेरे भरण–पोषण आदि करते हैं। जिसके संबंध में अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 02–09–2022 के तहत बेजा तौर पर खारिज फरमा दिया जिसके खिलाफ यह अपील पेश है। अधिनस्थ न्यायालय कतई गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ वाकेयात पत्रावली होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट्स ने स्वयं ने अपीलांट का पुत्र होना स्वीकार किया है एवं अपने जवाब में यह भी स्वीकार किया है कि उपरोक्त मकान स्थित राजभट्टा देहली रोड अलवर मिन अपीलांट का खरीदशुदा व स्व–अर्जित मकान है। किन्तु रेस्पो० का यह दर्ज करना गलत है कि उक्त मकान के निर्माण में किसी प्रकार का सहयोग किया हो। क्योंकि उक्त मकान वर्ष 1986 में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

निर्माण किया गया था, उस समय रेस्पो० नाबालिग थे और उनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी। इसलिए उनके द्वारा निर्माण कार्य में किसी प्रकार का सहयोग करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। रेस्पो० अपने जवाब में यह भी स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में मिन अपीलांट उक्त मकान में निवास नहीं करता है। क्योंकि मिन अपीलांट को रेस्पो० ने बिना किसी हक व अधिकार से बलपूर्वक मिन अपीलांट की शारीरिक कमजोरी का बेजा लाभ उठाकर मकान से बलपूर्वक बेदखल कर दिया एवं मिन अपीलांट को जगह–जगह भटकना पड रहा है। रेस्पो० संख्या 1 ने अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि वह वर्ष 2013 से जयपुर में कोचिंग सेंटर में प्राईवेट अध्यापक का कार्य करता है एवं अप्रार्थी संख्या 2 भी अध्यापन क कार्य करता है और दोनों के पास स्वतंत्र आय के पर्याप्त साधन हैं। किन्तु उसके बाद भी वो अपीलांट को ना तो उसके मकान में रहने देते हैं और ना ही अपीलांट का भरण–पोषण आदि करते हैं। बल्कि अपीलांट झगड़ा–फिसाद आदि करने व मारपीट आदि करने पर उतारू रहते हैं। रेस्पो० का यह दर्ज करना गलत है कि मिन अपीलांट अपनी स्वयं की मर्जी से अलग रहता हो। बल्कि स्वयं रेस्पो० ने मिन अपीलांट को मेरे स्वयं के अर्जित मकान से बलपूर्वक बेदखल कर दिया और मुझे ना तो इस मकान में घुसने देते हैं और ना रहने देते हैं और ना ही मेरा भरण–पोषण आदि करते हैं। यह सही है कि मेरी पत्नी श्रीमती शांति देवी रेस्पो० के साथ इसी मकान में निवास करती हैं क्योंकि मेरी पत्नी श्रीमती शांति देवी रेस्पो० व उनके बच्चों का घर का सारा कार्य कर सकती है और कर रही है। इसलिए रेस्पो० ने उनको अपने पास रखा हुआ है। जबकि मिन अपीलांट को रेस्पो० ना तो इस मकान में रहने देते हैं और ना ही मेरा भरण–पोषण आदि करते हैं।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 02–09–2022 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो० को पाबंद फरमाया जावे कि वो अपीलांट को अपने स्व–अर्जित मकान स्थित दयानगर, राजभट्टा देहली रोड़ अलवर में निवास करने में किसी प्रकार से रूकावट व मजहामत पैदा ना करें और ना अपीलांट को किसी प्रकार बल पूर्वक बेदखल करें एवं साथ ही रेस्पो० को आदेशित फरमाया जावे कि वो मिन अपीलांट को अपने स्वयं के भरण–पोषण, कपडे लत्ते व अन्य दैनिक आवश्यकता के लिए कम से कम 5–5 हजार रूपये पृथक–पृथक अदा करें व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया जाकर कानून की मंशा देखी गई। अपीलाण्ट् द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 02.09.2022 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है कि अपील अपीलाण्ट् स्वीकार कर अपीलाण्ट् के अपने स्व–अर्जित मकान स्थित दयानगर, राजभट्टा देहली रोड अलवर में निवास करने में किसी प्रकार से रूकावट व मजहामत पैदा ना करें और ना अपीलांट को किसी प्रकार बल पूर्वक बेदखल करें एवं साथ ही रेस्पो० को आदेशित फरमाया जावे कि वो मिन अपीलांट को अपने स्वयं के भरण–पोषण, कपडे लत्ते व अन्य दैनिक आवश्यकता के लिए कम से कम 5–5 हजार रूपये पृथक–पृथक अदा करें। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन में पाया है कि प्रकरण मकान से बेदखली का प्रतीत होता है। उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पक्षकारान का पारिवारिक निवास का मामला पारिवारिक/दीवानी अदालत में उनके अन्य विवादास्पद विवादों के अधीन होगा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत उक्त बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अपीलाण्ट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपने परिवाद में भरण–पोषण एवं विवादित स्व–अर्जित स्थित मकान दयानगर, राजभट्टा देहली रोड अलवर से रेस्पो0 की बेदखली चाही है। यह अधिनियम न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णितानुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (Eviction) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पक्षकारों के मध्य उक्त विवादित मकान के संबंध में पक्षकारों के अधिकार सिद्ध होने हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 उचित प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलाण्ट् खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 02.09.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)